Northern Coalfields Limited
(Govt. of India Mini Ratna Company)
Post- Singrauli Colliery
Distt- Singrauli MP PIN-486889

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(भारत सरकार का एक मिनि रत्न प्रतिष्ठान)
पोस्ट सिंगरौली कोलियरी,
जिला- सिंगरौलीम. प्र., पिन 486889

CIN- U10102MP1985GOI003160
Phone: 07805- 266808 (Off) , 266640 (Fax)email: pro.ncl@coalindia.inwebsite : www.nclcil.in
An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company

पत्र क0 एनसीएल/ज0स0वि0/प्रेसवि0/2016–17/709 दिनांक– 28/03/2017

## प्रेस विज्ञप्ति

## एनसीएल निगाही ने आयोजित किया वृद्ध जन अधिकार जागरूकता सेमिनार

भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) के निगाही क्षेत्र ने अपनी निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) योजना के तहत रविवार को ग्रामीण वृद्ध जनों को अपने संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सेमिनार आयोजन किया। कार्यक्रम में सिंगरौली जिला न्यायालय की प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती बबीता होरा बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थीं। साथ ही, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला न्यायालय, सिंगरौली श्रीमती अंकिता शाही, एनसीएल के वरीय प्रबंधक (विधि) श्री जी0पी0 सिंह, सिंगरौली जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री दिग्विजय सिंह और पैनल अधिवक्ता जिला न्यायालय सिंगरौली श्री विजय बहादुर चौबे बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे।

घरौली और आस–पास के लगभग 100 वृद्ध व्यक्तियों ने कार्यक्रम में भाग लेकर अपने संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की। वक्ताओं ने वृद्ध जनों को भारत सरकार द्वारा जारी वेलफेयर एवं मेनटेनेंस ऑफ पैरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत् मिलने वाली भरण–पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी आर्थिक मदद और वृद्ध आश्रमों के प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

श्रीमती बबीता होरा ने कहा कि समाज में तरक्की और शिक्षा का स्तर तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन नैतिक मूल्यों का पतन भी हो रहा है, जिसके चलते वर्तमान पीढ़ी वृद्ध जनों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का सही निर्वहन नहीं कर रही है। ऐसे में वृद्ध जनों का अपने अधिकारों से पूरी तरह अवगत होना बेहद आवश्यक है।

श्री जी0 पी0 सिंह ने बताया कि वृद्ध व्यक्तियों का पुत्र एवं पुत्रवधू द्वारा भरण–पोषण नहीं करने एवं प्रताड़ित करने पर सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में सजा का प्रावधान भी है। श्री चौबे ने कहा कि यह अधिनियम बेहद सरल है और बिना किसी अधिवक्ता की सहायता के व्यक्ति स्वयं अपना प्रतिवेदन दे सकता है। श्री दिग्विजय सिंह ने संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

कार्यक्रम का आयोजन निगाही क्षेत्र की सीएसआर टीम ने सृष्टि महिला समिति की अध्यक्षा श्रीमती संगीता गोस्वामी के मार्गदर्शन में किया, जिसमें समिति की श्रीमती शशी दुहन, श्रीमती प्रभानी सरकार, श्रीमती रक्सी मैथ्यू, श्रीमती रंजू राय, श्रीमती मीना वर्मा, श्रीमती पूनम तिवारी और श्रीमती माया सिंह उपस्थित थीं।

जनसंपर्क अधिकारी